

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
बेतिया।

पटना, दिनांक- 19/03/2018

विषय:- राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया, विपत्र कोड-20-2210051050023 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युत प्रभार एवं संविदा सेवायें में मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 4,51,60,000/- (रुपये चार करोड़ इक्यावन लाख साठ हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया के पत्रांक-19, दिनांक-05.01.2018 के आलोक में राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया को विपत्र कोड-20-2210051050023 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युत प्रभार एवं संविदा सेवायें में मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 4,51,60,000/- (रुपये चार करोड़ इक्यावन लाख साठ हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0023.13.04 विद्युत प्रभार	380000	460000	840000	380000	460000	840000	0
0023.28.02 संविदा सेवायें	40000000	44700000	84700000	40000000	44700000	84700000	0
कुल योग-	40380000	45160000	85540000	40380000	45160000	85540000	0

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि का वहन गैर-योजना व्यय माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0023-राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया, विपत्र कोड-20-2210051050023 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

क्रमशः

←

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बेतिया से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


19/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/बे0कॉ0-02/2017-1157(1)स्वा०, पटना, दिनांक-19/03/2018
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, बेतिया /कोषागार पदाधिकारी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


19/3/18

सरकार के विशेष सचिव